

सूचना का अधिकार
अधिनियम की धारा 4(1)(ख)
के स्वःप्रकटीकरण के प्राविधान
के अन्तर्गत तैयार
मैनुअल पुस्तिका

(01 फरवरी, 2017 तक अद्यावधिक)



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

‘विद्युत नियामक भवन’, नियर आई0एस0बी0टी0, माजरा, देहरादून-248171

फोन-0135-2641115 फैक्स-2641314

वेबसाइट www.uerc.gov.in ई-मेल . secy.uerc@gov.in

मैनुअल संख्या : 1 [धारा 4(1)(ख)(i)]

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य

उत्तराखण्ड में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरों का निर्धारण एवं विद्युत उत्पादकों व आपूर्तिकर्ताओं के मध्य क्रय अनुबंधों का अनुमोदन तथा ऊर्जा सेक्टर में कार्यरत उत्पादक एवं वितरण संस्थाओं तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा आदि हेतु उत्तराखण्ड सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या 03/नौ-3-ऊ/2002 दिनांक 01 जनवरी 2002 द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया है।

उत्तराखण्ड राज्य में विद्युत सुधार के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का कार्य संचालन दिनांक 5 सितम्बर 2002 को शासन की विज्ञप्ति संख्या 3/नौ-3-ऊर्जा/2002 दिनांक 1-1-2002 के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया। आयोग की स्थापना उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 की धारा 3 (1) (बी) के प्राविधानों के अन्तर्गत की गयी तथा उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1250/1/2004-02(3) /20/2003 दिनांक 11.03.2005 के द्वारा आयोग का पुर्नगठन कर तीन सदस्यीय आयोग गठित किया गया। वर्तमान में आयोग में नियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नवत् हैं:-

1. श्री सुभाष कुमार अध्यक्ष

वर्तमान में आयोग में सदस्य (तकनीकी) एवं सदस्य (वित्त) के पद रिक्त है। इन पदों को भरे जाने की कार्यवाही शासन स्तर पर गतिमान है।

आयोग के कृत्य एवं कर्तव्य

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 के अनुसार उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के निम्नलिखित कृत्य हैं :-

- (क) राज्य के भीतर के विद्युत के थोक, अधिक मात्रा में या फुटकर, यथास्थिति उत्पादन, आपूर्ति पारेषण और चक्रण के लिए शुल्क दर अवधारित करना। किन्तु जहाँ धारा 42 के अधीन उपभोक्ताओं के सन्दर्भ को खुली पहुँच की अनुमति दी गयी है, वहाँ राज्य आयोग उपभोक्ताओं के उक्त संवर्ग के लिए उस पर केवल चक्रण प्रभार और अधिभार यदि कोई हो, को अवधारित करेगा।
- (ख) विद्युत क्रय और वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्राप्त प्रक्रिया को विनियमित करना जिसमें वह कीमत शामिल होगी, जिस पर विद्युत को उत्पादन करने वाली कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी से राज्य के भीतर वितरण और आपूर्ति के लिए विद्युत के क्रय के लिए करार के माध्यम से अन्य स्रोत को प्राप्त करेगा।
- (ग) विद्युत के अन्तःराज्यिक पारेषण और चक्रण को सुगम बनाना।
- (घ) पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और विद्युत व्यापारियों के रूप में राज्य के भीतर उनके प्रवर्तन के सम्बन्ध में कार्य करने की इच्छा करने वाले व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति जारी करना।
- (ङ) किसी व्यक्ति को ग्रिड और विद्युत के विक्रय से संयोजित करने के लिए उपयुक्त उपाय का प्रावधान करने के लिए विद्युत के नवीनकरणीय स्रोतों से विद्युत के सह उत्पादन और उत्पादन को समुन्नत करना और ऐसे स्रोतों से विद्युत के क्रय के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में विद्युत के पूर्ण उपयोग के प्रतिशत के लिए भी विनिर्दिष्ट करना।
- (च) अनुज्ञप्तिधारियों और उत्पादन करने वाली कम्पनियों के बीच विवादों का न्याय निर्णयन करना और माध्यस्थता के लिए किसी विवाद को निर्दिष्ट करना।
- (छ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फीस का उदग्रहण करना।
- (ज) राज्य ग्रिड संकेत को विनिर्दिष्ट करना, जो धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन विनिर्दिष्ट ग्रिड संकेत से संगत हो।

- (झ) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता निरन्तर और विश्वसनीयता के सम्बन्ध में मानक को विनिर्दिष्ट करना या प्रवर्तित करना।
- (ट) विद्युत के अंतर्राज्यिक व्यापार में व्यापार लाभ को नियत करना, यदि आवश्यक समझा जाय और
- (ठ) ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना, जो इस अधिनियम के अधीन उसको समनुदेशित किया जाय।
2. राज्य आयोग निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी पर राज्य सरकार को सलाह देगा:
- (i) विद्युत उद्योग के क्रियाकलाप में प्रतियोगिता, दक्षता ओर अर्थ व्यवस्था की वृद्धि।
 - (ii) विद्युत उद्योग विनियोग की वृद्धि।
 - (iii) राज्य में विद्युत उद्योग का पुर्नगठन और पुनः संरचना।
 - (iv) विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण और व्यापार से सम्बन्धित मामलों या उस सरकार द्वारा राज्य आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य मामला।
3. राज्य आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा।
4. राज्य आयोग अपने कृत्यों के निर्वहन में धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना और शुल्क दर नीति द्वारा मार्ग-निर्देशित किया जायेगा।

मैनुअल संख्या : 2 [धारा 4(1)(ख)(ii)]

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०	पदनाम	मुख्य कार्यों का विवरण
1.	अध्यक्ष	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के अन्तर्गत निहित।
2.	सदस्य	
3.	सचिव	<p>आयोग का प्रशासनिक नियंत्रण।</p> <p>मा० आयोग के निर्देश पर आयोग के महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पादित करना।</p> <p>आयोग के प्रबन्धन के लिए समय-समय पर राज्य सरकार से पत्राचार तथा विचार-विमर्श करना।</p> <p>आयोग में दाखिल समस्त पिटीशन, उस पर मा० आयोग के आदेश लेना एवं उनका सम्पादन कराना।</p>
4.	निदेशक (तकनीकी)	<p>तकनीकी अनुभाग से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन करना।</p> <p>विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत विभिन्न अनुज्ञापियों से प्राप्त प्रस्ताव/ए०आर०आर० का परीक्षण करना।</p> <p>आयोग के समक्ष दाखिल होने वाले वादों पर मा० आयोग को Assist करना।</p> <p>विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत निर्गत किये जाने वाले विनियमों पर तैयार किया जाना।</p> <p>मा० आयोग के निर्देश पर कार्य सम्पादन करना।</p> <p>लाइसेन्सिंग एवं सेवा मानक से सम्बन्धित कार्य।</p>

5.	निदेशक (वित्त)	<p>टैरिफ/वित्त अनुभाग से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन करना।</p> <p>विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत विभिन्न अनुज्ञापियों से प्राप्त प्रस्ताव/ए0आर0आर0 का परीक्षण करना।</p> <p>आयोग के समक्ष दाखिल होने वाले वादों पर मा0 आयोग को Assist करना।</p> <p>आयोग के आहरण एवं वितरण अधिकारी, लेखा एवं ऑडिट आदि से सम्बन्धित कार्य।</p> <p>मा0 आयोग के निर्देशों पर कार्य सम्पादन करना।</p>
6.	निदेशक (कॉस्टिंग/लाइसेंसिंग)	<p>कॉस्टिंग/लाइसेंसिंग अनुभाग से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन करना।</p> <p>विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत विभिन्न अनुज्ञापियों से प्राप्त प्रस्ताव/ए0आर0आर0 का परीक्षण करना।</p> <p>विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत निर्गत किये जाने वाले विनियमों पर तैयार किया जाना।</p> <p>आयोग के समक्ष दाखिल होने वाले वादों पर मा0 आयोग को Assist करना।</p> <p>मा0 आयोग के निर्देशों पर कार्य सम्पादन करना।</p> <p>विभिन्न अनुज्ञापियों हेतु जारी किये जाने वाले लाइसेंसिंग से सम्बन्धित कार्यों का निर्वाहन करना तथा अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।</p>
7.	संयुक्त निदेशक (विधि)	<p>विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत आयोग में विधि से सम्बन्धित प्रकरणों से सम्बन्धित कार्य।</p> <p>आयोग में मा0 आयोग एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर प्रकरणों पर विधिक राय प्रस्तुत करना।</p>
8.	संयुक्त निदेशक (वित्त/टैरिफ)	<p>टैरिफ/वित्त से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन करना।</p> <p>निदेशक (वित्त) के कार्यों में Assist करना।</p>

9.	संयुक्त निदेशक (तकनीकी)	तकनीकी अनुभाग से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन करना। निदेशक (तकनीकी) के कार्यों में Assist करना।
10.	उप निदेशक (आई0टी0)	आयोग के सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादित किया जाना। आयोग के वेबसाईट का रख-रखाव।
11.	उपनिदेशक (वित्त/टैरिफ)	टैरिफ/वित्त से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन करना। निदेशक (वित्त) एवं संयुक्त निदेशक (वित्त/टैरिफ) के कार्यों में Assist करना।
12.	उपनिदेशक (तकनीकी)	तकनीकी से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन करना। निदेशक (तकनीकी) के कार्यों में Assist करना।
13.	उपनिदेशक (प्रशासन)	आयोग में कार्मिक प्रबन्धन व सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित कार्यों का निर्वाहन। आयोग के भवन के रख-रखाव इत्यादि से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन। मा0 आयोग तथा सचिव द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन किया जाना।
14.	लेखाधिकारी	लेखा एवं कैश से सम्बन्धित कार्यों का निवाहन। निदेशक (वित्त) तथा सचिव द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन कार्य।
15.	सहायक निदेशक (लेखा)	आयोग के लेखा एवं ऑडिट आदि से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन कार्य। निदेशक (वित्त) के दिशा-निर्देशों में लेखा अनुभाग से सम्बन्धित किये जाने वाले वाले दैनिक कार्यों का निष्पादन किया जाना।
16.	सहायक निदेशक (वित्त/टैरिफ)	टैरिफ/वित्त से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन करना। निदेशक (वित्त) एवं संयुक्त निदेशक (वित्त/टैरिफ) के कार्यों में Assist करना।
17.	सहायक निदेशक (टैरिफ)	टैरिफ से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन करना। संयुक्त निदेशक (टैरिफ) के कार्यों में Assist करना।

18.	सहायक निदेशक (कॉस्टिंग/लाइसेंसिंग)	<p>कॉस्टिंग/लाइसेंसिंग अनुभाग से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन करना।</p> <p>विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत विभिन्न अनुज्ञापियों से प्राप्त प्रस्ताव/ए0आर0आर0 का परीक्षण करना।</p> <p>विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत निर्गत किये जाने वाले विनियमों पर तैयार किया जाना।</p> <p>आयोग के समक्ष दाखिल होने वाले वादों पर मा0 आयोग को Assist करना।</p> <p>मा0 आयोग के निदेशों पर कार्य सम्पादन करना।</p> <p>विभिन्न अनुज्ञापियों हेतु जारी किये जाने वाले लाइसेन्सिंग से सम्बन्धित कार्यों का निर्वाहन करना तथा अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।</p>
19.	सहायक निदेशक (विधि)	<p>विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत आयोग में विधि से सम्बन्धित प्रकरणों से सम्बन्धित कार्य।</p> <p>आयोग में मा0 आयोग एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर प्रकरणों पर विधिक राय प्रस्तुत करना।</p>
20.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	<p>आयोग में सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित कार्यों का निर्वाहन।</p> <p>आयोग के भवन के रख-रखाव इत्यादि से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन।</p> <p>मा0 आयोग तथा सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाना।</p>
21.	प्रशासनिक अधिकारी	<p>आयोग में सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित कार्यों का निर्वाहन।</p> <p>आयोग के भवन के रख-रखाव इत्यादि से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन।</p> <p>मा0 आयोग तथा सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाना।</p>
22.	निजी सचिव	<p>मा0 अध्यक्ष/मा0 सदस्यों के निजी सचिव के कार्यों का सम्पादन।</p>

23.	वैयक्तिक सहायक सह कन्सोल आपरेटर	नियंत्रण अधिकारियों के द्वारा दिये गये कार्यों का निष्पादन। अधिकारियों द्वारा श्रुत्रलेख कार्य तथा टंकण कार्य।
24.	आशुलिपिक सह कन्सोल आपरेटर	अधिकारियों के द्वारा दिये गये कार्यों का निष्पादन। अधिकारियों द्वारा श्रुत्रलेख कार्य तथा टंकण कार्य।
25.	स्वागती-लाईब्रेरियन	आयोग में लाईब्रेरी के रख-रखाव से सम्बन्धित कार्य।
26.	कैशियर कम सहायक लेखाकार	लेखा अनुभाग से सम्बन्धित कार्यों का निर्वहन।
27.	समीक्षा अधिकारी	आयोग में कार्मिक प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्यों का निर्वहन। प्रशासन अनुभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाना।
28.	चालक	आयोग के वाहन को चलाना तथा उनका रख-रखाव कार्य।
29.	अनुसेवक	आयोग कार्यालय के अधिकारियों/कार्मिकों के निर्देशानुसार कार्य करना।

मैनुअल संख्या : 3 [धारा 4(1)(ख)(iii)]

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षक और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है :-

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग में यह अध्याय लागू नहीं होता है। क्योंकि विद्युत अधिनियम, 2003 में निहित प्राविधानों तथा इस अधिनियम के तहत बनाये गये विनियम, यथा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम 2014 आदि के अन्तर्गत आयोग द्वारा अपने कार्य सम्पादित किए जाते हैं। यह विनियम आयोग की वेबसाइट www.uerc.gov.in में उपलब्ध है। जिसमें आयोग के समक्ष दायर किये जाने वाले वादों की प्रक्रिया, निर्धारित प्रपत्रों इत्यादि का वर्णन किया गया है।

आयोग द्वारा पारित आदेशों, अधिसूचित विनियमों को आयोग के बैवसाईट में अपलोड किया जाता है। आयोग द्वारा किसी भी मामले की सुनवाई इत्यादि हेतु आयोग की बैवसाईट में प्रदर्शित की जाती है तथा वादों की प्रक्रिया के अनुरूप समाचार-पत्रों में भी जन-सूचना प्रकाशित की जाती है।

चूंकि अधिनियम के अन्तर्गत आयोग के कार्य समयबद्ध एवं प्रक्रिया युक्त होते हैं तथा आयोग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर कोई सर्विस प्रदाय नहीं की जाती है।

मैनुअल संख्या 4 : [धारा 4(1)(ख)(iv)]

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

आयोग द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए, विद्युत अधिनियम, 2003 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये विनियम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम 2014 में निर्धारित मापमान निश्चित किये गये हैं तथा आयोग के समक्ष समय-समय पर दायर होने वाले वादों/ए0आर0आर0 पिटिशन एवं अन्य मामलों हेतु निर्धारित फीस एवं शुल्क हेतु उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (फीस एवं जुर्माना) विनियम 2002 (मूल विनियम) एवं उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (फीस एवं जुर्माना) (प्रथम संशोधन) विनियम 2012 जारी किये गये हैं।

इन विनियमों को आयोग की अधिकाधिक वेबसाइट www.uerc.gov.in में भी आम जन की जानकारी हेतु (अंग्रेजी एवं हिन्दी रूपान्तरण सहित) अपलोड किया गया है। इसके अतिरिक्त आयोग के सामान्य प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों के सम्पादन हेतु समय-समय पर मा0 आयोग द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किये जाते हैं।

अधिनियम एवं आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों में कृत्यों के निर्वहन हेतु निम्न समय-सीमा निर्धारित है :-

क्र०	विवरण	समय-सीमा
1.	अनुज्ञापियों द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत ए0आर0आर0 एवं टैरिफ पीटिशन याचिकाओं को स्वीकार किये जाने की तिथि से टैरिफ आदेश निर्गत किया जाना।	120 दिवस
2.	आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत गठित उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों के समक्ष प्राप्त शिकायतों का मंच द्वारा निस्तारण की समयावधि।	60 दिवस
3.	आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत गठित विद्युत ऑम्बड्समैन द्वारा अपीलों के निस्तारण की समयावधि।	90 दिवस

मैनुअल संख्या : 5[धारा 4(1)(ख)(v)]

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन विद्युत अधिनियम 2003 की प्राविधानों के अनुरूप किया जाता है। उक्त की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत, कार्यालय के कृत्यों हेतु प्रयोग हेतु अधिसूचित नियमों/विनियमों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम	विनियम का विवरण	अधिसूचना
1.	उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (फीस एवं जुर्माना) विनियम 2002	No.1824/Nau-3 Urja/2002- दिनांक 21.11.2002
2.	उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (फीस एवं जुर्माना) (प्रथम संशोधन) विनियम 2012	F-9(10) RG/UERC/2012/1293 दिनांक 21.12.2012
3.	उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम 2014	F-9(8)/RG/UERC/2014 /1728 दिनांक 12.12.2014

उपरोक्त विनियम आयोग की वेबसाइट www.uerc.gov.in पर देखे जा सकते हैं अथवा इन अभिलेखों की प्राप्ति विनियम के अन्तर्गत प्राविधानित शुल्क जमा कर, आयोग कार्यालय के निम्न पते से प्राप्त की जा सकती है :-

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग
'विद्युत नियामक भवन', नियर आई0एस0बी0टी0,
माजरा, देहरादून-148171
फोन-0135-2641115 (ईपीएबीएक्स) फैक्स-2641314

मैनुअल संख्या : 6[धारा 4(1)(ख)(vi)]

ऐसे दस्तावेजों के, जो उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण।

क्रम संख्या	अभिलेख का प्रकार	वेबसाइट	अभिलेख प्राप्त करने का माध्यम
1	आयोग द्वारा पारिषण अनुज्ञापी (पिटकुल) हेतु जारी "ट्रांसमिशन एण्ड बल्क सप्लाई लाईसेंस"	uerc.gov.in	आयोग की वेबसाइट अथवा कार्यालय से
2.	आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञापी (यूपीसीएल) हेतु जारी "डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड रिटेल सप्लाई लाईसेंस"	uerc.gov.in	आयोग की वेबसाइट अथवा कार्यालय से
3.	आयोग में पारित टैरिफ आदेश	uerc.gov.in	आयोग की वेबसाइट अथवा कार्यालय से
4.	आयोग द्वारा अधिसूचित विनियम	uerc.gov.in	आयोग की वेबसाइट अथवा कार्यालय से
5.	आयोग द्वारा विभिन्न मामलों में पारित आदेश	uerc.gov.in	आयोग की वेबसाइट अथवा कार्यालय से
6.	आयोग की वार्षिक रिपोर्ट	—	आयोग कार्यालय से
7.	आयोग की वार्षिक लेखा विवरण रिपोर्ट	—	आयोग कार्यालय से

उपरोक्त के अतिरिक्त आयोग के विभिन्न अनुभागों द्वारा धारित दस्तावेजों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०	अनुभाग	दस्तावेज का विवरण
1.	प्रशासन अनुभाग	<ul style="list-style-type: none"> आयोग के संगठन, पदों के सृजन से सम्बन्धित इत्यादि पत्रावलियां। आयोग के कार्मिकों की व्यक्तिगत पत्रावलियां। आयोग में सलाहकारों की व्यक्तिगत पत्रावलियां। आयोग के कार्मिकों की नियुक्ति इत्यादि से सम्बन्धित पत्रावलियां। आयोग द्वारा अधिसूचित विभिन्न विनियमों की पत्रावलियां। वाहनों के मरम्मत, लॉग बुक इत्यादि पत्रावलियां। सामाग्रियों से सम्बन्धित स्टॉक इत्यादि की पत्रावलियां। विभिन्न सामाग्री क्रय किये जाने से सम्बन्धित पत्रावलियां। आयोग के भवन की मरम्मत इत्यादि की पत्रावलियां। सलाहकार समिति के गठन, बैठक इत्यादि पत्रावलियां।
2.	लेखा अनुभाग	<ul style="list-style-type: none"> आयोग के बजट इत्यादि से सम्बन्धित पत्रावलियां। भुगतान/टैक्स इत्यादि से सम्बन्धित रजिस्टर। आडिट से सम्बन्धित पत्रावलिा। भुगतान वाउचर से सम्बन्धित पत्रावलियां।
3.	टैरिफ अनुभाग	<ul style="list-style-type: none"> आयोग के समक्ष प्रस्तुत समस्त पिटिशन की पत्रावलियां तथा रजिस्टर इत्यादि। आयोग के समक्ष प्रस्तुत टैरिफ पिटिशन, सुझाव एवं टैरिफ आदेश की पत्रावलियां। आयोग द्वारा टैरिफ अनुभाग से सम्बन्धित प्रकरणों पर निर्गत आदेशों की पत्रावलियां।
4.	तकनीकी अनुभाग	<ul style="list-style-type: none"> आयोग के समक्ष प्रस्तुत तकनीकी प्रकरणों पर दायर पिटिशनों पर आदेश इत्यादि पत्रावली। आयोग में उपभोक्ताओं द्वारा प्रेषित शिकायती पत्रों एवं उन पर कार्यवाही की पत्रावलियां।
5.	कास्टिंग एवं लाईसेंसिंग अनुभाग	<ul style="list-style-type: none"> आयोग द्वारा अनुज्ञापियों को जारी लाईसेंस की पत्रावलियां इत्यादि। आयोग के समक्ष प्रस्तुत सम्बन्धित पिटिशन को प्रस्तुत करना तथा पत्रावलियां व्यवस्थित रखना इत्यादि।
6.	आईटी अनुभाग	<ul style="list-style-type: none"> विभिन्न कम्प्यूटर इत्यादि के क्रय से सम्बन्धित पत्रावलियां। विभिन्न सॉफ्टवेयर के क्रय इत्यादि से सम्बन्धित पत्रावलियां। आयोग कार्यालय के हार्डवेयर की रख-रखाव इत्यादि पत्रावलियां। आईटी से सम्बन्धित रजिस्टर इत्यादि।

मैनुअल संख्या : 7[धारा 4(1)(ख)(vii)]

किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है।

आयोग के समक्ष दाखिल की जाने वाली सभी याचिकाओं के मामलों पर भी आयोग सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का अवसर, यदि आवश्यक है, देते हुए कार्य में पारदर्शिता एवं विनियम के अन्तर्गत निर्णय करता है। आयोग द्वारा विभिन्न विद्युत कम्पनियों आदि के टैरिफ निर्धारण के समय, जन-सामान्य से परामर्श तथा प्रस्तावित टैरिफ दरों में जनता के सुझाव/टिप्पणियाँ हेतु टैरिफ प्रस्ताव के ऑकड़ों इत्यादि को मुख्य समाचार पत्रों एवं वेबसाइट में प्रकाशित करता है तथा इन पर स्टेकहोल्डरों से सुझाव/टिप्पणियाँ प्राप्त करने के उपरान्त, उस पर सुनवाई का उपयुक्त अवसर देने के पश्चात् टैरिफ आदेश निर्गत करता है।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 87 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा राज्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 87(2) के अनुसार राज्य सलाहकार समिति में वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रम, उपभोक्ता, गैर सरकारी संगठनों और विद्युत क्षेत्र में शैक्षणिक तथा अनुसंधान निकायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य नामांकित किए जाते हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य सलाहकार समिति के क्रमशः पदेन अध्यक्ष एवं सदस्य हैं तथा उत्तराखण्ड शासन के ऊर्जा तथा खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव सलाहकार समिति के पदेन सदस्य हैं।

वर्तमान में गठित विद्युत सलाहकार समिति में निम्न सदस्य सम्मिलित है :-

क्र०	सम्मानित सदस्य	पद
1.	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।	पदेन अध्यक्ष
2.	सदस्य (वित्त), उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।	पदेन सदस्य
3.	सदस्य (तकनीकी), उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।	पदेन सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन।	पदेन सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद, उत्तराखण्ड शासन।	पदेन सदस्य
6.	अध्यक्ष, इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड, देहरादून।	सदस्य
7.	अध्यक्ष, सी0आई0आई0, देहरादून।	सदस्य
8.	अध्यक्ष, कुमाँऊ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज, काशीपुर।	सदस्य
9.	प्रेसीडेन्ट, उत्तराखण्ड होटल एसोसियेशन, देहरादून।	सदस्य
10.	निदेशक, कृषि, कृषि निदेशालय, नंदा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून।	सदस्य
11.	श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड शासन, भोटिया पड़ाव, हल्द्वानी	सदस्य
12.	डॉ० अनिल प्रकाश जोशी, हेस्को, ग्राम- शुक्लापुर, पोस्ट- अम्बीवाला, प्रेमनगर, देहरादून।	सदस्य
13.	चीफ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर, उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।	सदस्य
14.	विभागाध्यक्ष, विद्युत अभियन्त्रण विभाग, गोविन्द बल्लभ पन्त विश्वविद्यालय कृषि एवं प्रौद्योगिकी, पन्तनगर।	सदस्य
15.	डॉ० अतुलन गुहा, एशो०प्रोफेसर, आई०आई०एम०, काशीपुर, उ०सि०नगर।	सदस्य
16.	डॉ० वी०के०गर्ग, ए-24/ई, डीडीए फ्लैट्स, मुनरिका, नई दिल्ली।	सदस्य
17.	श्री रोहताश दहिया, एफ-12, स्वाती अपार्टमेंट, आई०पी० एक्सटेन्शन, नई दिल्ली।	सदस्य
18.	डॉ० एस०के० कुलश्रेष्ठ c/o दून कन्ज्यूमर्स एवं प्रोटेक्शन सोसाईटी, 9 ओल्ड सर्वे रोड, देहरादून।	सदस्य
19.	श्री सुधीर सिंह सिसौदिया, 40ए वसन्त विहार, फेज-II, देहरादून।	सदस्य

विद्युत सलाहकार समिति को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 88 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न पर आयोग को सलाह दिये जाने का प्राविधान है:—

- (i) नीति के मुख्य प्रश्नों पर;
- (ii) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रदान सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता और विस्तार से सम्बन्धित मामलों पर;
- (iii) उनकी अनुज्ञप्ति की शर्तों और अपेक्षाओं पर अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनुपालना पर;
- (iv) उपभोक्ता हित के संरक्षण पर;
- (v) सेवाओं द्वारा पालन के सभी मानकों और विद्युत प्रदाय पर।

आयोग द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण विषयों जैसे— बिलिंग एवं विद्युत बिलों के भुगतान से सम्बन्धित समस्याओं का निवारण, प्रदेश में ऊर्जा मांग प्रबन्धन, लाईसेन्सी द्वारा समय से टैरिफ प्रस्ताव दिया जाना तथा विभिन्न विद्युत अनुज्ञापी/कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत टैरिफ प्रस्ताव इत्यादि पर भी सलाहकार समिति के सदस्यों से सलाह लेता है।

मैनुअल संख्या : 8[धारा 4(1)(ख)(viii)]

ऐसे बोर्डों, परिषदों समितियों और निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग रूप सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धाराओं 42(5) में निहित प्रावधानों के अनुरूप उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा उविनिआ (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शिका) विनियम, 2007 अधिसूचित किये गये हैं। उक्त के अन्तर्गत विद्युत की आपूर्ति, नये संयोजन या अनुज्ञापी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं जिनमें भार/मांग में परिवर्तन, मीटर सम्बन्धी मामलों, बिल सम्बन्धी मुद्दे सम्मिलित हैं।

“शिकायत” की अधिसूचित परिभाषा के अनुसार यह विद्युत की आपूर्ति, नये संयोजन या अनुज्ञापी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं जिनमें भार/मांग में परिवर्तन, मीटर सम्बन्धी मामलों, बिल सम्बन्धी मुद्दे सम्मिलित हैं और ऐसे मामले जहां अनुज्ञापी ने आयोग द्वारा तय की गई कीमतों से अधिक कीमत प्रभारित की है या विद्युत लाईन या विद्युत संयंत्र प्रदान करने में आयोग द्वारा अनुमोदित प्रभारों से अधिक व्यय प्रभार वसूल किये हैं, से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण हेतु मंच के समक्ष दाखिल किया गया पत्र या आवेदन है। निम्न वर्णित विषय में से जो कि अधिनियम की धाराओं में है, उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की परिधि में नहीं है :-

- (i) अधिनियम की धारा 126 के अधीन उपबंधित किये गये अनुसार विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग;
- (ii) अधिनियम की धारा 135 से 139 के अधीन उपबंधित किये गये अनुसार अपराध और दण्ड;

- (iii) अधिनियम की धारा 161 के अधीन उपबंधित किये गये अनुसार विद्युत के वितरण, आपूर्ति या उपयोग में दुर्घटना; और
- (iv) जहां बिल की राशि में कोई विवाद नहीं है वहां बकायों की वसूली;

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (CGRF) का गठन कुमाऊँ और गढ़वाल जोन में किया गया है तथा उनके पते यहां नीचे दिये गये हैं:-

जोन	पता	दूरभाष संख्या
कुमाऊँ जोन	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (कुमाऊँ जोन) यू0पी0सी0एल0, ओल्ड डीजल पॉवर हॉउस, सेन्ट पॉल स्कूल के सामने, नैनीताल रोड़, काठगोदाम, हल्द्वानी, पिन- 263126	05946-266223
गढ़वाल जोन	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (गढ़वाल जोन) विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह भवन, कांवली रोड़, देहरादून, पिन-248006	0135-2763672 से 0135-2763675 (एक्सटेंशन-257)
हरिद्वार जोन	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (हरिद्वार जोन) यू0पी0सी0एल0	-
उधम सिंह नगर जोन	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उधम सिंह नगर जोन) यू0पी0सी0एल0	-

यदि उपभोक्ता मंच के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो, वह ओम्बड्समैन के समक्ष याचिका दर्ज कर सकता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

कार्यालय	पता	दूरभाष संख्या
ओम्बड्समैन (विद्युत)	80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून	0135-2762120

मैनुअल संख्या : 9[धारा 4(1)(ख)(ix)]

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष/सदस्य एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका

क्र०	नाम	पद	दूरभाष (एस.टी.डी.कोड 0135)	
			कार्यालय	आवास
1.	श्री सुभाष कुमार	अध्यक्ष	2643755	2655060
2.	श्री नीरज सती	सचिव	2643799	2640915
3.	श्री प्रभात किशोर डिमरी	निदेशक (तकनीकी)	2643944	2651388
4.	श्री दीपक पाण्डे	निदेशक (वित्त)	2641113	2724430
5.	श्री रजनीश माथुर	निदेशक (कॉस्टिंग/लाईसेंसिंग)	2641747	—
6.	श्री के.के. गुप्ता	संयुक्त निदेशक (वित्त/टैरिफ)	2641115	—
7.	श्री मुकेश चन्द्र वर्मा	उप निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी)	2641119	2750417
8.	श्री दीपक कुमार	उप निदेशक (प्रशासन)	2641119	—
9.	श्री यशवर्द्धन डिमरी	उप निदेशक (तकनीकी)	2641115	2670339
10.	श्री राधेश्याम	लेखाधिकारी	2643955	—
11.	श्री गौरव लोहनी	सहायक निदेशक (लेखा)	2643955	—
12.	श्री गौरव सभरवाल	सहायक निदेशक (वित्त/टैरिफ)	2641115	—
13.	श्रीमती निधि गोयल	निजी सचिव	2643755	—
14.	श्री एस0एस0नेगी	निजी सचिव	2643799	—
15.	श्री ओ0पी0पन्त	वरिष्ठ सहायक	2641115	—
16.	श्री वी0पी0 डिमरी	समीक्षा अधिकारी	2641119	—
17.	श्री प्रकाश पन्त	अपर निजी सचिव	2641747	—
18.	श्री रूपरानी मौर्य	अपर निजी सचिव	2643944	—
19.	श्री शैलेन्द्र भदूला	अपर निजी सचिव	2641113	—

20.	श्री राजेन्द्र सिंह	आशुलिपिक कम कम्प्यूटर आपरेटर	2641115	—
21.	श्री सन्तोष द्विवेदी	वैयक्तिक सहायक	2641119	
22.	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत	चालक	—	—
23.	श्री वीरेन्द्र सिंह रावत	चालक	—	—
24.	श्री चन्द्रशेखर	चालक	—	—
25.	श्री पुष्कर दत्त पाठक	चालक	—	—

मैनुअल संख्या : 10[धारा 4(1)(ख)(x)]

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष / सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक

(दिनांक 31.01.2017 के अनुरूप)

क्र0	नाम एवं पदनाम	वेतन लेवल	वर्तमान सकल वेतन (रु0)
1.	श्री सुभाष कुमार, अध्यक्ष#	18	1,57,200.00
2.	श्री नीरज सती, सचिव	15	1,86,894.00
3.	श्री प्रभात किशोर डिमरी, निदेशक (तकनीकी)	15	1,52,880.00
4.	श्री दीपक पाण्डे, निदेशक (वित्त)	15	1,52,770.00
5.	श्री रजनीश माथुर निदेशक (कॉस्टिंग / लाईसेंसिंग)	37400-67000 ग्रेड वेतन - 10000 (अपुनरिक्षित)	1,71,323.00
6.	श्री के0के0 गुप्ता, सयुक्त निदेशक (वित्त / टैरिफ)	15600-39100 ग्रेड वेतन - 7600 (अपुनरिक्षित)	90,638.00
7.	श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, उप निदेशक (आई0टी0)	12	97,662.00
8.	श्री दीपक कुमार, उप निदेशक (प्रशासन)	11	78,144.00
9.	श्री यशवर्द्धन डिमरी, उप निदेशक (तकनीकी)	11	78,144.00
10.	श्री राधेश्याम, लेखाधिकारी	10	70,716.00
11.	श्री गौरव लोहनी, सहायक निदेशक (लेखा)	10	67,146.00
12.	श्री गौरव सभरवाल, सहायक निदेशक (वित्त / टैरिफ)	10	67,146.00
13.	श्रीमती निधि गोयल, निजी सचिव	10	67,146.00

14.	श्री एस0एस0नेगी, निजी सचिव	10	67,146.00
15.	श्री प्रकाश पन्त, अपर निजी सचिव	08	55,860.00
16.	श्री रूपरानी मौर्य, अपर निजी सचिव	08	55,860.00
17.	श्री शैलेन्द्र भदूला, अपर निजी सचिव	08	55,860.00
18.	श्री ओ0पी0पन्त, वरिष्ठ सहायक	06	52,494.00
19.	श्री राजेन्द्र सिंह, आशुलिपिक कम कम्प्यूटर आपरेटर	06	45,084.00
20.	श्री वी0पी0 डिमरी, समीक्षा अधिकारी	06	42,880.00
21.	श्री सन्तोष द्विवेदी वैयक्तिक सहायक	05	35,800.00
22.	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, वाहन चालक	04	36,858.00
23.	श्री वीरेन्द्र सिंह रावत, वाहन चालक	04	35,022.00
24.	श्री चन्द्रशेखर, वाहन चालक	04	35,022.00
25.	श्री पुष्कर दत्त पाठक, वाहन चालक	04	35,212.00

पेंशन घटाकर तथा पेंशन पर महंगाई भत्ता

मैनुअल संख्या : 11[धारा 4(1)(ख)(xi)]

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का बजट की स्थिति

मद	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कुल स्वीकृत बजट*	वित्तीय वर्ष 2015-16 में खर्च कुल बजट*	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कुल स्वीकृत बजट*
आयोग कार्यालय के विभिन्न खर्च हेतु।	7.32 करोड़	5.44 करोड़	9.93 करोड़

*ऑम्बड्समैन कार्यालय सहित

मैनुअल संख्या : 12[धारा 4(1)(ख)(xii)]

सहायक कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित है।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग में यह लागू नहीं होता है।

मैनुअल संख्या : 13[धारा 4(1)(ख)(xiii)]

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं
की विशिष्टियाँ

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा विभिन्न अनुज्ञापत्रों को जारी किये गये
अनुज्ञापन का विवरण निम्नवत् है :-

क्रसं०	अनुज्ञापी	अनुज्ञाप	उद्देश्य
1.	उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०	“डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड रिटेल सप्लाय लाइसेंस”	विद्युत वितरण हेतु।
2.	पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० (पिटकुल)	“ट्रांसमिशन एण्ड बल्क सप्लाय लाइसेंस”	विद्युत पारेषण हेतु।

मैनुअल संख्या : 14[धारा 4(1)(ख)(xiv)]

किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।

क्रम संख्या	अभिलेख का प्रकार	किस इलैक्ट्रॉनिक रूप में अभिलेख रखे गये है।	अभिलेख प्राप्त करने का माध्यम
1	आयोग में पारित टैरिफ आदेश की सूची (वर्ष वार)	वेबसाइट uerc.gov.in पर	इण्टरनेट अथवा आयोग कार्यालय से
2	आयोग द्वारा गजट में अधिसूचित किये गये विनियम	वेबसाइट uerc.gov.in पर	इण्टरनेट अथवा आयोग कार्यालय से
3.	आयोग द्वारा पारित आदेश	वेबसाइट uerc.gov.in पर	इण्टरनेट अथवा आयोग कार्यालय से
4.	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच एवं ऑम्बड्समैन कार्यालय का पता एवं दूरभाष	वेबसाइट uerc.gov.in पर	इण्टरनेट अथवा आयोग कार्यालय से
5.	सुनवाई की तिथि का विवरण	वेबसाइट uerc.gov.in पर	इण्टरनेट अथवा आयोग कार्यालय से
6	उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा उपभोक्ताओं की जानकारी हेतु जारी मैनुअल पुस्तिका	वेबसाइट uerc.gov.in पर	इण्टरनेट अथवा आयोग कार्यालय से
7.	सामान्य जन-सूचना, निविदा, नोटिस इत्यादि।	वेबसाइट uerc.gov.in पर	इण्टरनेट अथवा आयोग कार्यालय से

मैनुअल संख्या : 15[धारा 4(1)(ख)(xv)]

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टयां जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।

1. आयोग से सम्बन्धित कोई भी सूचना निर्धारित शुल्क जमा कर आयोग कार्यालय से लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
2. आयोग द्वारा पारित समस्त आदेश, टैरिफ आदेश, विनियम तथा सामान्य नोटिस, सुनवाई की तिथियों का ब्यौरा, निविदा सूचना, सूचना के अधिकार के अन्तर्गत अधिनियम 2005, आयोग द्वारा तैयार मैनुअल एवं प्राधिकारियों का विवरण इत्यादि आयोग की वैबसाईट www.uerc.gov.in पर 24 घण्टे उपलब्ध रहती है, जो कि जन-सामान्य द्वारा देखी/डाउनलोड की जा सकती है।
3. आयोग कार्यालय जन सामान्य के लिये प्रातः 9.30 बजे से साँय 6.00 बजे तक सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार, राजकीय अवकाश को छोड़कर) खुला रहता है तथा आयोग के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से तथा दूरभाष पर इस दौरान अधिनियम के प्रयोग से सम्बन्धित नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उपलब्ध रहते हैं। आयोग से सम्बन्धित कोई भी सूचना निर्धारित शुल्क जमा कर आयोग कार्यालय से लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

मैनुअल संख्या : 16[धारा 4(1)(ख)(xvi)]

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ।

आयोग का मुख्यालय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, 'विद्युत नियामक भवन' निकट आई.एस.बी.टी., पो0ओ0-माजरा, देहरादून में है। आयोग का अन्य कोई कार्यालय मण्डल, जिला और तहसील स्तर पर नहीं है।

मा0 आयोग द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग में सूचना के अधिकार के सम्बन्धित निम्न प्राधिकारियों को नामित किया गया है। आयोग कार्यालय से सम्बन्धित, किसी भी प्रकार की सूचना इत्यादि हेतु नामित प्राधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। प्राधिकारियों का नाम, पदनाम तथा दूरभाष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं0	नाम	पदनाम	दूरभाष कार्यालय	फैक्स / ई-मेल
1-	श्री दीपक कुमार, उप निदेशक (प्रशासन)	लोक सूचना अधिकारी	2641119	0135-2641314 / ada.uerc@gov.in
2-	श्री नीरज सती, सचिव	अपीलीय अधिकारी	2643799	0135-2641314 / secy.uerc@gov.in

मैनुअल संख्या : 17[धारा 4(1)(ख)(xvii)]

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की जन सामान्य तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए पारित अधिनियम की प्रति मय हिन्दी रूपान्तरण सहित, उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली 2013 एवं आयोग की अद्यतन मैनुअल पुस्तिका को आयोग की अधिकारिक वेब-साईट www.uerc.gov.in पर देखा तथा डाऊनलोड किया जा सकता है।

आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपील के लिए मा0 विद्युत अपीलीय अधिकरण का पता निम्नानुसार है :-



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

इन्स्ट्रूशन आफ इन्जीनियर (इण्डिया) के मवन का प्रथम तल, माजरा, देहरादून
दूरभाष-0135-2643944 फ़ैक्स-2641314
Website: www.uerc.in Email: www.uerc@rediffmail.com

पत्रांक-2218/उविनिआ/09-10 दिनांक : 15 मार्च, 2010

कार्यालय-झाप

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति/उपभोक्ता/प्रभावित व्यक्ति/संस्था/उद्योग, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित आदेशों से व्यक्ति/असंतुष्ट रहता है/रहते है, तो वह/वे आयोग के आदेशों के विरुद्ध चुनवाई हेतु विद्युत अपीलीय अधिकरण नई दिल्ली में आदेश प्राप्ति के 45 दिन की अवधि में अपील दायर कर सकता है/सकते है, जिनका पता निम्नवत् है-

विद्युत अपीलीय अधिकरण, सातवां तल, कोर-4 स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 दूरभाष : 011-24368477 फैक्स : 011-24368479 ईमेल : registrar-aptel@nic.in वेबसाइट: www.aptel.gov.in	Appellate Tribunal for Electricity 7 th Floor, CORE - 4, Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110 003 Tel: 011-24368477 Fax: 011-24368479 Email address : registrar-aptel@nic.in Website: www.aptel.gov.in
---	--

उक्त आदेश आयोग की आज्ञा से जारी किए जा रहे हैं ।

-Sd-
(पंकज प्रकाश)
सचिव

विद्युत अधिनियम 2003 एवं संशोधन सहित का अवलोकन आयोग की बैवसाईट www.uerc.gov.in पर किया जा सकता है अथवा डाऊनलोड किया जा सकता है।
